छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांकः **04 मई, 2011** को **मध्याह्न 12:00** बजे सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाही ।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुयेः –

1.	प्रो0 हर्ष कुमार सहगल, कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	प्रो0 नन्दलाल, प्रति कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	सदस्य
3.	मा0 न्यायमूर्त्ति श्री खेमकरन (सेवानिवृत्त), लखनऊ	सदस्य
4.	प्रो0 संजय कुमार श्रीवास्तव, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	सदस्य
5.	प्रो0 आर0 सी0 कटियार, आचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
6.	प्रो0 मृदुला भदौरिया, आचार्या, शिक्षा विभाग	सदस्या
7.	डॉ0 बी0एस0 श्रीवास्तव, अधिष्ठाता कृषि संकाय	सदस्य
8.	डॉ0 निरंजन सिंह, प्राचार्य ब्रह्मावर्त्त पी0जी0 कॉलेज, कानपुर	सदस्य
9.	डॉ0 संजय स्वर्णकार, उपाचार्य अंग्रेजी विभाग	सदस्य
10.	डॉ0 संदीप कुमार सिंह, उपाचार्य प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 नीरज कुमार सिंह, उपचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
12.	डॉ0 मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
13.	डॉ0 जहान सिंह यादव, रसायन विज्ञान विभाग, पी.पी.एन. कॉलेज, कानुपर	सदस्य
14.	डॉ0 आर0के0 आर्या, रसायन विज्ञान विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, कानुपर	सदस्य
15.	श्री धर्मेन्द्र वर्मा, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	सदस्य
16.	श्री संजय कुमार, कार्य0कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	सचिव

–:–:–:–:– :–:–:–:–:–

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों प्रो0 आर0सी0 कटियार, डॉ0 नीरज कुमार सिंह एवं डॉ0 मुनेश कुमार का स्वागत किया एवं परिषद के पूर्व सदस्यों प्रो0 ए0एल0 जाटव, प्रो0 मुकेश रंगा एवं डॉ0 अंशु यादव के बहुमूल्य सुझावों एवं विश्वविद्यालय के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मद सं०–1: **कार्यपरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 04.03.2011 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार ।**

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विगत बैठक दिनांक 04.03.2011 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की ।

अध्यक्ष महोदय ने अन्य बिन्दु पर परिषद के पूर्व निर्णय कि, अतिगोपनीय विभाग को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दो सप्ताह का समय अंतिम अवसर के रूप में प्रदान कर दिया जाय', के सम्बन्ध में परिषद को सूचित किया कि प्रकरण में सम्बन्धित अभिलेख अभी तक जांच समिति को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिससे कि जांच की कार्यवाही बाधित है। परिषद ने प्रकरण की सम्पूर्ण जांच किसी न्यायिक जांच अधिकारी से कराये जाने का निर्णय लिया।

मद सं०–2: **परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 15.04.2011 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार।**

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की विगत बैठक दिनांक 15.04.2011 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की।

मद सं०–3: **कैम्पस स्कूल से सम्बन्धित अध्यापकों की याचिका सं० 1356/2010 (स्पेशल अपील) पर पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्यपरिषद के पूर्व निर्णय के अन्तर्गत गठित जॉच समिति की आख्या पर विचार।**

परिषद ने विस्तृत विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि, "विश्वविद्यालय में कैंपस स्कूल की पुर्नस्थापना औचित्यविहीन है। कैंपस स्कूल बंद हो जाने के फलस्वरूप याचिककर्ताओं की सेवायें समाप्त हो जाने के कारण, अन्यथा अर्ह होने पर, विश्वविधालय द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाय । इस हेतु उनके द्वारा स्कूल में की गयी सेवाओं के सापेक्ष आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाय। यदि आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी है तो भी उन्हें आवेदन हेतु अतिरिक्त समय इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किया जाय कि याचिकाकर्तागण अन्य अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित हो सके, किन्तु उनका चयन परीक्षा/साक्षात्कार के परिणाम पर ही निर्भर हो।' परिषद के सदस्यों का मत था कि

याचिकाकर्ताओं की आयु में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में विधिक राय तथा शासन का अभिमत/निर्देश अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

मद सं०–4: महाविद्यालयों को प्रदान की गई सम्बद्धता से कार्य परिषद को संसूचित किये जाने पर विचार।

परिषद विश्वविद्यालय द्वारा 03 महाविद्यालयों को प्रदान की गई सम्बद्धता से संसूचित हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने परिषद को यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2011 की वार्षिक परीक्षा के दौरान चन्द्रभान सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान, कानपुर देहात का औचक निरीक्षण प्रतिकुलपति एवं उनके द्वारा किया गया। निरीक्षण में प्राचार्य एवं एक अनुमोदित शिक्षक को छोड़कर शेष सभी शिक्षक अनुपस्थित पाये गये। यह भी पाया गया कि बी0एस–सी0 कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों के अनुरूप प्रयोगशाला एवं अन्य अवस्थापना सुविधायें मानकों के अनुरूप उपलब्ध नहीं थीं। प्रयोगशालाओं में रखे हुए केमिकल्स आदि का उपयोग नहीं किया गया है, फिर भी प्रायोगिक परीक्षायें इस केन्द्र पर सम्पन्न हुईं। इन अनियमितताओं के दृष्टिगत परिषद ने यह निर्णय लिया कि सम्बन्धित महाविद्यालय से उपरोक्त कमियों/अनियमितता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा कमियों को पूरा किये जाने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाय। महाविद्यालय उक्त अवधि में में कमियों को पूरा करते हुए विश्वविद्यालय को सूचित करे, जिससे कि विश्वविद्यालय स्थलीय निरीक्षण हेतु निरीक्षक मण्डल गठित कर सके। निर्धारित अवधि में कार्यवाही न करने की दशा में सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही शुरू की जायेगी।

मद सं०–5: विश्वविद्यालय में नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में मृतक आश्रित कर्मचारियों के प्रतिशत से कार्यपरिषद को संसूचित करते हुए प्रतिशत निर्धारित करने पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने मृतक आश्रित के रूप में विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में यह

अवगत कराया कि विश्वविद्यलाय में इस प्रकार की नियुक्तियों का प्रतिशत 15.63 हैं जिससे विश्वविद्यालय में कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। परिषद से इस प्रकार की नियुक्तियों का अधिकतम् प्रतिशत निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अधिकांश सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति सम्बन्धित शासनदेशों में उल्लिखित व्यवस्था के आलोक में परीक्षण कर कार्यपरिषद के निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अनुपूरक कार्यसूची

मद सं0–1: **राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के पत्र सख्या–ई03059/जी.एस. (ए.यू.–कु.नियु.) /2010 दिनांक 17.04.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यलय अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत महामहिम कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति हेतु खोज समिति के गठित किये जाने के लिए विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा अधिनियम की धारा 12(2)(क) के अन्तर्गत एक सदस्य नामित किये जाने पर विचार ।**

राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या–ई03059/जी.एस. (ए.यू.–कु.नियु.) /2010 दिनांक 17.04.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यलय अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत महामहिम कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति हेतु खोज समिति के गठित किये जाने के लिए विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा अधिनियम की धारा 12(2)(क) के अन्तर्गत एक सदस्य नामित किये जाने हेतु कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

मद सं0–2: **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.11.2009 के अनुपूरक कार्यसूची के मद संख्या–04 पर लिये गये निर्णय के क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा समूह–ख, ग एवं घ के विज्ञापित पदों पर चयन हेतु गठित चयन समिति गठित किये जाने हेतु से परिषद को संसूचित किया जाना**

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.11.2009 के अनुपूरक कार्यसूची के मद संख्या–04 पर लिये गये निर्णय के क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा समूह– ख, ग एवं घ के विज्ञापित पदों पर चयन हेतु निम्नानुसार गठित चयन समिति से परिषद संसूचित हुई।

समूह–खः	1.	कुलपति	–	अध्यक्ष
	2.	कुलपति जी द्वारा नामित दो विशेषज्ञ	–	सदस्य

	3.	अनुसूचित जाति प्रतिनिधि	–	सदस्य
	4.	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि	–	सदस्य
	5.	कुलसचिव	–	सचिव
समूह–ग/घः	1.	कुलपति अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि–		अध्यक्ष
	2.	कुलपति जी द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	–	सदस्य
	3.	कुलसचिव	–	सदस्य
	4.	अनुसूचित जाति प्रतिनिधि	–	सदस्य
	5.	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि	–	सदस्य
	6.	उपकुलसचिव (प्रशा0)	–	सचिव

मद सं0–3: शैक्षिक सत्र 2011–12 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा दिनांक 30 अगस्त तक समस्त कक्षाओं में प्रवेश पूर्ण करते हुए विश्वविद्यालय को सूची प्रेषित करने तथा दिनांक 30 सितम्बर तक विश्वविद्यालय को परीक्षा शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करने तथा उक्त अवधि के उपरान्त जमा किये गये परीक्षा शुल्कों पर रू0 25/– प्रति सप्ताह प्रति छात्र की दर से विलम्ब शुल्क लिये जाने पर विचार ।

अध्यक्ष महोदय ने परिषद को यह अवगत कराया कि विगत वर्षों में महाविद्यालय से परीक्षा शुल्क समय–समय से प्राप्त नहीं होते रहें हैं, जिससे कि समय से परीक्षा आवेदन पत्र भी जमा नहीं होते है ऐसी स्थिति में परीक्षा सम्पन्न कराने एवं परीक्षाफल समय से घोषित न हो पाने की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2011–12 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा दिनांकः 30 अगस्त तक समस्त कक्षाओं में प्रवेश पूर्ण करते हुए विश्वविद्यालय को सूची प्रेषित करने तथा दिनांकः 30 सितम्बर तक विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करने तथा उक्त अवधि के उपरान्त जमा किये गये परीक्षा शुल्कों पर रु. 25/– प्रति सप्ताह प्रति छात्र की दर से विलम्ब शुल्क लिये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

साथ ही परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन फार्म भरते समय की गयी लापरवाही के परिणाम स्वरूप होने वाली त्रुटियों को अक्षम्य मानते हुए उनके आवेदनों को निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया।

मद सं0–4: कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.12.1993 के मद संख्या–14 पर विश्वविद्यालय में पूर्णचन्द्रगुप्त पत्रकारिता संस्थान स्थपित किये जाने पर अग्रिम कार्यवाही पर विचार

अध्यक्ष महोदय ने परिषद को यह अवगत कराया कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.12.1993 के मद संख्या–14 पर विश्वविद्यालय में पूर्णचन्द्रगुप्त पत्रकारिता संस्थान स्थापित किये जाने पर निर्णय लिया जा चुका है परन्तु निर्णय का क्रियान्वयन अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जा सका है। प्रकरण पर विस्तृत विचार के दौरान सदस्यों द्वारा यह पृच्छा की गयी कि वर्ष 1993 से अब तक इस प्रकरण में कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर क्यों नहीं सम्पन्न हुई तथा संस्थान को भूमि आवंटित किये जाने के लिए उ0प्र0 शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की गयी अथवा नहीं। अन्ततः परिषद ने उपर्युक्त के आलोक प्रकरण का प्रशासनिक एवं विधिक परीक्षण कराते हुए कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(हर्ष कुमार सहगल)
कुलपति

(संजय कुमार)
कार्य0 कुलसचिव